



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072023-247467
CG-DL-E-19072023-247467

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]
No. 498]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2023/आषाढ 28, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2023/ASHADHA 28, 1945

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2023

फा. सं. सीए/498/2023/म.स.अ.ए(विनियम).—वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वा) की धारा 21 के साथ पढी जाने वाली धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ई), (जी), (एच), और (जे) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद् एतद्वारा वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 जो भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में दिनांक 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुए हैं में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :-

- (1) इन विनियमों का नाम वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2023 होगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे तथा केवल अकादमिक सत्र 2023-2024, के लिए लागू होंगे, जिसके उपरान्त मूल विनियम जो कि 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुए हैं लागू हो जायेंगे।
- वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा :-
 - कोई भी अभ्यर्थी जिसने 10+2 परीक्षा प्रणाली में भौतिकी तथा गणित अनिवार्य विषयों के साथ-साथ रसायनशास्त्र अथवा जीवविज्ञान अथवा तकनीकी व्यवसायिक विषय अथवा कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा सूचना विज्ञान अभ्यास अथवा अभियांत्रिक ग्राफिक्स अथवा बिजिनिस स्टडीज के साथ कुल प्राप्तांक 45 प्रतिशत से उत्तीर्ण न की हो अथवा 10+3 डिप्लोमा परीक्षा गणित अनिवार्य विषय के साथ कुल प्राप्तांक 45 प्रतिशत से उत्तीर्ण न की हो, को वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 11 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 23 मार्च 2021 तथा 30 जून 2022 को संशोधित हुए थे।

राज कुमार ओबराय, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./288/2023-24]

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(STATUTORY AUTHORITY CONSTITUTED UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2023

F. No. CA/498/2023/MSAE(Regulations).—In exercise of powers conferred by clauses (e), (g), (h) and (j) of sub-section (2) of Section 45 read with Section 21 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations 2020, the same having been published in the Gazette of India, Part-III-Section-4 dated the 11th August, 2020, namely: -

- (1) These Regulations may be called the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2023.
 - (2) They shall come into force from the date of this publication in the official Gazette and shall be applicable for the academic session 2023-2024 only and thereafter the original Regulations as notified in the Gazette on 11.08.2020 shall be in force.
2. In the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020, in Regulation 4 for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) No candidate shall be admitted to architecture course unless she/he has passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with either Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or Information Technology or Informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies with at least 45% marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject with at least 45% marks in aggregate.”

Foot note : The principal Regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, on 11th August, 2020 and amended on 23.03.2021 and 30.06.2022.

RAJ KUMAR OBEROI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./288/2023-24]